

विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्ट्रोटो से विद्युत उत्पादन नीति, पवन ऊर्जा नीति एवं लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजना के संबंध में नीति जारी की गई है, जो उपलब्ध है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाओं तथा पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के लिये नीति-निर्देश

राज्य शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 08.04.2002 द्वारा राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्ट्रोटों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा के रूप में लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेशकों को आकर्षित करने एवं पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के उद्देश्य से 10 मेगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार नीति-निर्देश जारी करता है:-

1. लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेश-

इन परियोजनाओं का विकास नोडल एजेन्सी (क्रेडा) द्वारा सामान्यतः निजी निवेश से कराया जायेगा। किन्तु जहाँ उचित हो वहाँ नोडल एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्ट्रोटों से अथवा संयुक्त निवेश के द्वारा भी विकास किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भी आवश्यकता अनुसार इन परियोजनाओं का विकास कर सकेगा।

2. परियोजना स्थानों का चिन्हीकरण-

नोडल एजेन्सी परियोजनाओं के लिये उपयुक्त संभाव्य स्थानों का प्राथमिक चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित करेगी। इच्छुक उद्यमी स्वयं भी योग्य स्थानों का चयन कर आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे स्थान शासन द्वारा

सिंचाई अथवा पेयजल के लिये आरक्षित न हों। नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति ली जायेगी।

3. आवेदन एवं प्रोसेसिंग शुल्क-

उद्यमी/उद्यमी इकाई से नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना हेतु आवेदन शुल्क रूपए 5 प्रति किलोवॉट या रुपए 10,000 इसमें से जो भी अधिक हो, लिया जायेगा, जो वापस नहीं किया जायेगा।

आवेदन शुल्क के अलावा उद्यमी/उद्यमी इकाई से नोडल एजेन्सी द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क रूपए 25 प्रति कि.वा. अथवा रुपए 25,000 जो भी अधिक हो, भी लिया जायेगा जो परियोजना के आवंटित न होने पर वापिस दिया जाएगा।

4. पात्रता की शर्तें एवं आवंटन के आधार-

नोडल एजेन्सी द्वारा आवंटन के आधार निम्नानुसार होंगे :-

4.1 आवेदक भारतीय नागरिक हो। कम्पनी होने की दशा में इकाई भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।

4.2 आवेदक/ आवेदक कम्पनी को इस कार्य का पूर्व अनुभव होना चाहिये व तकनीकी दृष्टि से सक्षम होना चाहिये तथा आवेदक/ आवेदक कम्पनी आर्थिक दृष्टि से सक्षम ,टप्पेसमद्ध होनी चाहिए।

4.3 यदि आवेदक/ आवेदक कम्पनी द्वारा परियोजना का लाभ अविद्युतीकृत ग्रामों को दिया जाता है और इस हेतु विद्युत व्हीलिंग के लिये व्यवस्था भी परियोजना का एक अंग हो तो ऐसी आवेदक/ आवेदक कम्पनी को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.4 एजेन्सी द्वारा निविदा से बुलाए स्थान के लिये एक से अधिक पात्र इकाईयों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवंटन पैरा-4.3 एवं 4.4 के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

4.5 आवेदक/ आवेदक कम्पनी द्वारा स्वेच्छा से चयनित एक ही स्थान हेतु एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन “पहले आओ पहले पाओ” नीति पर आधारित होगा।

5. विद्युत व्हीलिंग-

उद्यमी द्वारा परियोजना स्थान पर उत्पादित विद्युत का स्व-उपभोग (कैप्टिव कंजप्शन) हेतु प्रदेश में कहीं भी अन्यत्र स्थित थर्ड पार्टी अथवा सिस्टर कन्सर्न इकाई को छ.रा.वि. मण्डल के ग्रिड से व्हील किया जा सकेगा। विद्युत व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि उपभोक्ता की इकाई किसी अन्य राज्य में हो तो दोनों राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा व्हीलिंग की दर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

6. अतिशेष विद्युत का विद्युत मण्डल को विक्रय-

उद्यमी द्वारा प्रतिमाह उत्पादित विद्युत में से स्वयं के उपभोग (कैप्टिव कंजप्शन) तथा किसी अन्य नामित इकाई (थर्ड पार्टी) को वास्तविक विक्रय के उपरान्त अतिशेष विद्युत का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुपये 2.25 प्रति यूनिट की दर पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा। क्रय की दर में परिवर्तन शासन द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।

7. ग्रिड इंटरफेसिंग/पारेषण (ट्रांसमिशन) लाईन के व्यय का वहन-

ग्रिड इंटरफेसिंग के लिये आवश्यक पारेषण लाईन की दो किलोमीटर तक की दूरी का स्थापना व्यय उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इससे अधिक दूरी की स्थापना का व्यय उद्यमी तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा समानुपात में (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिकतम 5 कि.मी. तक) किया जायेगा, परन्तु कार्य स्थल पर सब-स्टेशन के लिये आवश्यक संयंत्र तथा अन्य व्यय उद्यमी द्वारा ही वहन किया जायेगा। पारेषण लाईन की स्थापना उपरोक्तानुसार उद्यमी के व्यय पर विद्युत मण्डल द्वारा ही की जायेगी।

8. जल रॉयल्टी-

जल रॉयल्टी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगी।

9. विद्युत शुल्क-

ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 08.04.2002 द्वारा घोषित ऊर्जा नीति के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पर प्रथम पाँच वर्ष तक विद्युत शुल्क देय नहीं होगा।

10. भूमि आवंटन-

परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का आवंटन छत्तीसगढ़ औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 में प्रावधानित जिला/ संभाग/ राज्य स्तरीय समिति/ बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

11. परियोजना क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा-

11.1 उद्यमी के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की स्वीकृति के अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में परियोजना का क्रियान्वयन आवश्यक होगा।

11.2 कार्य के विभिन्न चरणों की समय सीमायें क्रेडा द्वारा डी.पी.आर. की स्वीकृति के समय निर्धारित की जायेंगी।

11.3 विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित समयसीमा अनुसार प्रगति नहीं होने अथवा तीन वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं होने की दशा में उद्यमी को दी गई अनुमति क्रेडा द्वारा निरस्त की जा सकेगी। अपरिहार्य कारणों से परियोजना का क्रियान्वयन पूर्ण नहीं होने पर समयावधि में क्रेडा द्वारा वृद्धि भी की जा सकेगी।

12. आवंटन का स्थानान्तरण-

आवंटी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को कार्य स्थल स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि आवंटी एक कम्पनी है तो वास्तविक प्रमोटर इकिवटी अंश का वास्तविक हिस्सा अहस्तांतरित रखेगा। संयंत्र स्थापित होने के उपरान्त नोडल एजेन्सी की स्वीकृति के बाद ही किसी अन्य को स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

13. अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु समिति-

लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सहमतियों/ अनापत्तियों तथा अन्तर्विभागीय समन्वय का कार्य छत्तीसगढ़ औद्योगिक विनिवेश अधिनियम 2002 में प्रावधानित जिला/ संभाग/ राज्य स्तरीय समिति/ बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

14. ये नीति-निर्देश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच साल तक प्रभावी रहेंगे।

2. छत्तीसगढ़ में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाएं देने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2637/स./ऊ.वि./2001, दिनांक 31 अक्टूबर 2001 द्वारा घोषित ऊर्जा नीति की अपेक्षा अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता है:-

- 1/ कोई भी उद्योग, संस्था एवं निजी एजेंसी जो कि अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (लघु/लघुतम जलविद्युत, सोलर, वायु, बायो एनर्जी आदि से) छत्तीसगढ़ में स्थापित करना चाहता है तो वे इसके लिये प्रोत्साहन के पात्र होंगे।
- 2/ ऐसी पार्टियाँ स्वयं या छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की भागीदारी से अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों की इकाईयों की स्थापना कर सकती हैं।
- 3/ विद्युत उत्पादन की क्षमता पर कोई सीमा लागू नहीं होगी। ऐसी पार्टियाँ अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत को उसी जगह या किसी अन्य स्थान पर स्वयं उपयोग कर सकती हैं या किसी तीसरी पार्टी को शासन की अनुमति से विक्रय कर सकती है, परन्तु तीसरी पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का उच्च दाब उपभोक्ता होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल भी परिस्थिति अनुसार विद्युत का क्रय कर सकता है।
- 4/ विद्युत उत्पादन के स्थान से किसी अन्य स्थान तक स्वयं के उपयोग या किसी तीसरी पार्टी के उपयोग के लिये अगर “व्हीलिंग” की आवश्यकता होगी तो इसके लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की पारेषण/ वितरण प्रणाली के उपयोग के लिये भी पार्टियों को अनुमति दी जायेगी तथा उत्पादक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित व्हीलिंग चार्ज विद्युत मंडल को देना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को लाइन द्वारा व्हीलिंग आदि के ऐवज में कोई क्षतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं दी जायेगी। उपरोक्त व्हीलिंग चार्ज के लिये दूरी की कोई शर्त नहीं होगी।

- 5/ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा क्रय किये जाने पर क्रय की दर ₹. 2.25 प्रति यूनिट होगी। किसी तीसरी पार्टी को विद्युत के विक्रय के लिये दरें विद्युत उत्पादक पार्टी एवं तीसरी पार्टी के बीच आपसी सहमति से तय की जायेंगी।
- 6/ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से जो विद्युत उत्पादन पार्टी द्वारा स्वयं उपयोग किया जायेगा या कि किसी तीसरी पार्टी को विक्रय किया जायेगा तब 10 मेगावॉट से कम क्षमता के यूनिट्स की दशा में प्रथम पाँच वर्ष विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा 10 मेगावॉट व उससे अधिक की क्षमता होने पर तीन वर्ष के लिये विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 7/ विद्युत उत्पादन के विक्रय हेतु जो मीटिंग उपकरण आदि की आवश्यकता होगी, पार्टी द्वारा स्वयं के खर्च पर विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये स्थान पर लगाये जायेंगे। ऐसे मीटर्स आदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अनुमति से एवं टेस्ट करवा कर लगवाये जायेंगे।
- 8/ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को उत्पादन के स्थान से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निकटतम ग्रिड स्टेशन से जोड़ने के लिये जो पारेषण/ वितरण लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होगी एवं इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन /प्रोटेक्शन आदि के लिये संयंत्र लगाना पड़ेंगे, वे स्वयं के व्यय से या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से खर्च का भुगतान करके लगवाया जा सकता है। इन लाइनों /उपकरणों का रखरखाव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किया जायेगा जिसके लिये पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को मंडल द्वारा निर्धारित चार्ज देय होंगे।
- 9/ उत्पादक यदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ग्रिड से रियेक्टिव ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे रियेक्टिव ऊर्जा प्रभार देना होगा।
- 10/ उत्पादक यदि मंडल के ग्रिड से स्टार्टअप पॉवर संयंत्र की मरम्मत/ अनुरक्षण आदि के लिये प्राप्त करता है तो मंडल में लागू 33 के.व्ही. टू पार्ट टेरिफ की दुगनी दर पर चार्ज देय होगा।
- 11/ अगर शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो यह पार्टी को उसकी न्यूनतम आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग द्वारा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जायेगी। यदि शासकीय भूमि उपलब्ध न हो तो शासन निजी भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहण मूल्य पर पार्टी को उपलब्ध करायेगा। इस हेतु सर्विस चार्ज देय नहीं होंगे। भूमि के उपयोग के लिये परिवर्तन की अनुमति

की आवश्यकता नहीं होगी। केवल भूमि के उपयोग की जानकारी संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों को दी जानी होगी।

12/ अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा एवं उसको वह सभी छूट मिलेगी जो किसी नई औद्योगिक इकाई को मिलती है।

13/ ऐसी पार्टियां, जो अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाना चाहती है, को अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) को अनुमति प्राप्त करने हेतु देना होगा, जिसकी प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को भी पृष्ठांकित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की स्वीकृति के पश्चात उत्पादक इकाई एवं उपभोक्ता इकाई को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के साथ आवश्यक अनुबंध निष्पादित करना होगा।

3. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित पवन ऊर्जा नीति

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1905 / प्र.ऊ. / उ.वि. / 2006

रायपुर,,दिनांक 07.08.2006

अधिसूचना

पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी नीति ।

छत्तीसगढ़ में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2002 में जारी नीति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश में पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नानुसार नीति जारी करता है :—

इस नीति को “पवन ऊर्जा नीति” कहा जायेगा तथा यह पूरे राज्य में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से आगामी संशोधन तक प्रभावशील रहेगी । नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

- (1) राज्य में पवन ऊर्जा के विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करेगी । प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने हेतु क्रेडा द्वारा पवन ऊर्जा अध्ययन कराया जायेगा । पवन ऊर्जा अध्ययन हेतु निजी इकाईयों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । पवन ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठित इकाई या पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माता इकाई (जो भारत सरकार के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में पंजीबद्ध है एवं वायु अध्ययन हेतु रुचि रखती है), को पवन ऊर्जा अध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी । किन्हीं भी दो प्रस्तावकर्ताओं को आपस में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी । अनुमति प्राप्त इकाई द्वारा कम से कम 24 महीने निरंतर अध्ययन किया जाना चाहिए तथा इकाई द्वारा अध्ययन पश्चात् प्रस्तुत जानकारी/आंकड़ों का सत्यापन अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सूचीबद्ध संरक्षा से कराया जाना चाहिए । अध्ययन जानकारी सत्यापित तथा प्रमाणित पाये जाने पर कार्य स्थल, “ पात्र कार्य स्थल” घोषित किया जायेगा ।

(2) क्रेडा द्वारा चिन्हांकित “पात्र कार्य स्थल” पर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु खुली निविदा के माध्यम से निवेशक का चयन किया जायेगा। ऐसी इकाई को “पात्र कार्य स्थल” से 25 कि.मी. की त्रिज्या के बृत की परिधि के भीतर संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान किया जायेगा।

यदि “पात्र कार्य स्थल” का चिन्हांकन निजी इकाई द्वारा किया गया हो तो “पात्र कार्य स्थल” से 10 कि.मी. की त्रिज्या के बृत की परिधि में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना का प्रथम अधिकार उक्त इकाई का होगा।

(3) ग्रिड इंटरफेसिंग और संधारण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मापदण्डों के अनुसार पात्र इकाई को स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि निवेशक इसके लिए अनुरोध करे तो यह कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित दरों पर भी किया जा सकता है।

(4) पवन ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत क्रय का प्रथम अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर राज्य शासन अथवा उसके द्वारा नामांकित एजेंसी का होगा। राज्य सरकार या उसके द्वारा नामांकित एजेंसी द्वारा विद्युत क्रय न करने की दशा में निवेशक तृतीय पक्ष को विद्युत विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(5) पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का ग्रिड में पारेषण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादक के स्वयं के उपभोग स्थल या उसके द्वारा निर्मित किसी तृतीय इकाई के उपयोग स्थल तक राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा, भले ही विद्युत उत्पादन स्थल व उपभोग स्थल में कितनी ही दूरी क्यों न हो।

(6) इकाई को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार 30 वर्ष या परियोजना अवधि जो भी पहले हो, के लिए प्रदान किया जायेगा। राजस्व विभाग द्वारा चयनित इकाईयों को परियोजना के लिए उतनी ही शासकीय भूमि आबंटित की जायेगी जो ऊर्जा विभाग द्वारा इस हेतु अनुशंसित की जायेगी।

(7) विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु यदि निजी भूमि की आवश्यकता हो तो उसके उपयोग हेतु निम्नानुसार विकल्प होंगे :—

(अ) भूमि का अधिग्रहण, भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत तथा राज्य शासन की आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाये।

अथवा

- (ब) भूमिस्वामी द्वारा भूमि का उपयोग करने का अधिकार (Right to Use) पर भूमि देने का विकल्प चुनने पर रुपये 5,000/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष का किराया निवेशक द्वारा भूमिस्वामी को दिया जायेगा । यह किराया प्रति तीन वर्ष में 15% बढ़ाया जायेगा । यह व्यवस्था 30 वर्ष तक लागू रहेगी । निवेशक द्वारा अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन किये जाने पर राज्य शासन की अनुमति से भूमि उपयोग करने के अधिकार की अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।
- (8) परियोजना के लिए सभी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत दी जायेंगी ।
- (9) पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयों, उद्योग विभाग की घोषित नीति के तहत नये उद्योगों को दी जाने वाली समस्त रियायतों की भी पात्र रहेंगी । इन इकाइयों को शासन की उद्योग नीति तथा अन्य सभी प्रचलित नीतियों के अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिल
टुटेजा)

उप सचिव
ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्र. 1906 / प्र.ऊ./ उ.वि. / 2006
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 07.08.2006

01. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
02. शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव ।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा, रायपुर ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, डंगनिया, रायपुर ।
05. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
06. संचालक, जनसंपर्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
07. उप नियंत्रक, शासन मुद्रणालय, राजनांदगांव को अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशनार्थ । कृपया प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 50 प्रतियों का प्रदाय, विभाग को शीघ्र करें ।

उप सचिव

ऊर्जा विभाग

**Government of Chhattisgarh, Energy Department
D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur**

No.1905/प्र.ऊ./उ.वि./2006

Raipur, Dt. 07.08.2006

NOTIFICATION

POLICY FOR PROMOTION OF POWER GENERATION FROM WIND

The State Government have decided to issue a policy for the development of wind energy. The policy shall prevail over the general policy declared for promoting generation of power through non-conventional energy sources issued in the year 2002.

This policy will be known as "**wind energy policy**" and it shall come into force from the date of its publication in the Gazette of the Government of Chhattisgarh and remain in force until further revision. The main points of the policy are as follows: -

- (1) Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) will be the nodal agency for the wind power development in the State, under the Department of Energy. CREDA shall carry out the wind monitoring for the identification of wind power potential in the State. Participation of private sector shall also be encouraged. Any renowned wind energy consulting firm or manufacturer of wind energy generators-which is enlisted with the ministry of non-conventional energy sources, Government of India and is interested in wind energy prospecting-may be permitted to conduct wind monitoring. No two prospectors shall be allowed to conduct studies within 50 K.M. apart. The allotted firm shall carry out the monitoring for at least 24 consecutive months and shall have its data verified by the institution recommended by the ministry of non-conventional energy sources for the purpose. After receiving the verified and certified, 'monitored data' the site will be declared as an "eligible site".

- (2) The wind energy developer will be selected on the basis of an open tender for the installation of wind energy generators at "eligible site" identified by Creda. Such developer will be given the land use right for the installation of generator of the land within 25 K.M. radius of "eligible site".
- If any private developer identifies an "eligible site", then first right for installation of the generator will be given to that developer for the land within 10 K.M. radius of "eligible site".
- (3) Grid interfacing and maintenance will be undertaken by the developer as per the specifications of the Chhattisgarh State Electricity Board at their own expenses. However should the developer so desire, the Chhattisgarh State Electricity Board could undertake these works, on payment of charges to be decided by it.
- (4) State Government or its nominated agency shall have the first right to purchase the electrical energy generated by the wind energy generator at the rate decided by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. In the case of non-purchase of the power by the State Government or its nominated agency, developer will be at liberty to sale the power to a third party.
- (5) Chhattisgarh State Electricity Board will undertake to transmit on its grid the power generated by the eligible developer and make it available to him for captive use or to the third party nominated by him (developer), at the charges determined by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, irrespective of the distance from the generating station.
- (6) The land use permission for the land owned by the Government will be given to the developer for 30 years or period of project whichever is earlier. The government land required for such project shall be allotted to the selected developer in accordance with the requirement conveyed by the Energy department to the Revenue department.
- (7) If private land is required for the implementation of power projects then the option for its use will be one of the following: -
- (a) Acquisition of land will be carried out as per the ideal rehabilitation policy under land acquisition act of the State Government.

Or

- (b) If landowner selects the option to give the right to use his land for the project to the developer then developer shall have to pay an annual rent of Rs. 5000/- per acre to the landowner. This rent will be increased @ 15% every three years. This arrangement will be in force for 30 years. The time-limit for land use right can be further increased with the approval from State Government subject to the developer following all terms and conditions of the MOU.
- (8) Necessary approvals for the project from all departments will be accorded as per the provisions of the Chhattisgarh Industrial Investment Promotion act.
- (9) Wind energy generating companies shall be also eligible for all the incentives for new industries, declared in the industrial policy of the Department of Industries of the Government of Chhattisgarh. Such firms will have to abide by the duties laid down in the industrial policy and in all the prevalent policies of the Government.

In the name and by the order of
the Governor of Chhattisgarh

(Anil Tuteja)
Dy. Secretary
Dept. of Energy

No.1905/प.क./उ.वि./2006

Raipur, Dt. 07.08.2006

C.c to:-

1. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya.
2. All Ps/Secretaries of the Govt.
3. Chief Executive Officer, CREDA, Raipur.
4. Secretary, Chhattisgarh State Electricity Board, Dangnia, Raipur.
5. Chief Electrical Inspector, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.
6. Director, Publicity for necessary action.
7. Dy. Controller, Govt. Press, Rajnandgaon for publication in the Gazette with a request to send 50 copies to the Department of Energy.

Dy. Secretary
Dept. of Energy

